UPSI180027982025

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

प्रकीर्ण वाद-16/ 2025

सरकार बनाम बृजनाथ तिवारी आदि।

दिनांक-04.04.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी अधि-पत्र पर संबंधित थाने द्वारा अभियुक्त अफसर पुत्र अनवर के जमानतदार सीताराम पुत्र रग्धा को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि न्यायालय के आदेश दिनांकित-07.08.2004 द्वारा अभियुक्त अफसर पुत्र अनवर को दस हजार रूपये की दो प्रतिभू व समान धनराशि का व्यक्तिगत बंध-पत्र दाखिल करने पर जमानत पर निर्मुक्त किया गया था। न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में जमानतदारों बृजनाथ तिवारी एवं सियाराम द्वारा अभियुक्त अफसर पुत्र अनवर के जमानतदार के रूप में बंध-पत्र दाखिल किये गये थे। जमानदार द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि उसके द्वारा अभियुक्त को खोजने का भरसक प्रयास किया गया, परन्तु वह उसे खोजने में एवं न्यायालय में उपस्थित करवाने में असमर्थ रहा एवं स्वयं भी न्यायालय में इसीलिए उपस्थित नहीं हुआ। जमानतदार द्वारा यह भी कथन किया गया कि वह अत्यन्त गरीब व्यक्ति है तथा अपने परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है तथा वह बंध-पत्र में उल्लिखित धनराशि रु० 10,000/- जमा करवाने में असमर्थ है। अतः उसकी कम से कम धनराशि जब्त की जाए। तदनुसार उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में जमानतदार सीताराम पुत्र रग्धा को रु० 3000/- की शास्ति से दंडित किया जाता है तथा उक्त जमानतदार को अभियुक्त अफसर पुत्र अनवर की जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अन्य जमानतदार बृजनाथ तिवारी को पहले ही न्यायालय के आदेश दिनांकित-20.01.2026 द्वारा उन्मोचित किया जा चुका है एवं प्रकीर्ण पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रकीर्ण पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जु०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.04.04 17:28:23 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M.
Mahmoodabad, Sitapur.